JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बौद्धिक संपदा अधिकारों में भारतीय स्थिति का एक अध्ययन

गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन'[1], सोनू जैन[2]
1–असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्वी, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश
2–असिस्टेंट प्रोफेसर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग, श्री करन नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जॉबनेर, जयपुर, राजस्थान

सारांश

वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में बौद्धिक संपदा किसी राष्ट्र के व्यवसाय, शक्ति और प्रभुत्व कायम करने का उपकरण बन चुकी है। बौद्धिक संपदा के धनी राष्ट्र दुनिया में तेजी से अपना प्रभुत्व कायम कर रहे हैं, क्योंकि बौद्धिक संपदा किसी राष्ट्र के न केवल विकासीय नवाचारों के लिए बल्कि विकास की गतिशीलता, पोषणीयता, व्यावसायिकता, लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए भी विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। ये अर्थव्यवस्था में आजीविका और आविष्कारों का परिमार्जन कर विकासशील सुधारों को निरंतरता प्रदान करते हैं। इसलिए बौद्धिक संपदा का प्रसार और प्रोत्साहन प्रत्येक राष्ट्र के लिए अपरिहार्य है। चूंकि बौद्धिक संपदा के नुकसान राष्ट्र के बौद्धिक और समग्र विकास के लिए हानिकारक हैं। इसलिए बौद्धिक सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण और उन्नयन आवश्यक है। यद्यपि उदारीकृत नीतियों का अनुसरण कर पिछले तीन दशकों में भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों में भावनात्मक परिवर्तन देखा गया है, लेकिन देश में रचनात्मक व उत्पादक ऊर्जाओं की प्रचुरता के बावजूद भारत अभी तक बौद्धिक सम्पत्तियों के सृजन व संरक्षण में अपना उत्कर्ष कायम नहीं कर पाया है। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में बौद्धिक संपदा के विशेषकर पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, भौगोलिक संकेतक, कापीराइट के सृजन, परिमार्जन और नवाचार में भारत की स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द:पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, बौद्धिक संपदा, वीपो (डब्ल्यूआईपीओ), भौगोलिक संकेत, कॉपीराइट, व्यापार रहस्य, आईपीआर।

साहित्य की समीक्षा:

एल. जाजपुरा, बी. सिंघा और आर. के. नायक (2017) ने अपने शोध अध्ययन "बौद्धिक संपदा अधिकारों का परिचय और भारतीय संदर्भ में उनका महत्व" में पाया कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में, प्रगतिशील सामाजिक विकास के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार बहुत आवश्यक हैं। आईपीआर वैश्विक प्रतिस्पर्धी व्यापार का हिस्सा बनने के लिए बुनियादी आवश्यकता है, क्योंकि आईपीआर ज्ञान और कार्यान्वयन के प्रसार के बिना, अभिनव वातावरण बनाना वास्तव में असंभव है। नीति निर्माताओं के लिए बुनियादी शिक्षा प्रणाली में आईपीआर को शामिल करना और नवप्रवर्तनकर्ताओं व रचनाकारों को प्रोत्साहित करके आईपीआर पंजीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है।

सुशांत कुमार राउत (2018) ने अपने शोध लेख "पेटेंट पर विशेष ध्यानाकर्षण के साथ बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक संक्षिप्त समीक्षा" में पाया कि बौद्धिक संपदा अधिकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आधुनिक आर्थिक नीति बनाने की आधारशिलाओं में से एक है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापार को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। विभिन्न देशों को बड़े पैमाने पर पेटेंट योग्य आविष्कारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा कानूनों व उनके कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ानी चाहिए।

नरसिम्हुलु इप्पे और अन्य (2019) ने अपने शोध अध्ययन "भारत व अन्य विकासशील देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों की आवश्यकताः वैश्विक मान्यता और आर्थिक विकास के लिए एक नया दृष्टिकोण" में पाया कि आईपीआर भारत व अन्य विकासशील देशों के विकास और असीमित लाभ प्राप्त करने के लिए एक आदर्श उपकरण है। किसी भी संगठन के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु ज्ञान प्राप्त करने, घरेलू और विश्व स्तर पर प्रतियोगिताओं का सामना करने के लिए आईपीआर आवश्यक है।

विपिन बेनी (2020) ने अपने शोध लेख "भारतीय अर्थव्यवस्था में पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन अनुप्रयोगों का प्रभाव" में पाया कि कैसे साक्ष्य–आधारित तरीके से आईपीआर आवेदन को मजबूत करना राष्ट्रीय

अर्थव्यवस्था से संबंधित है। घरेलू और विदेशी आईपी अनुप्रयोग गतिविधि जीडीपी वृद्धि का अनुसरण करती है और आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। संरक्षित नवाचार ढांचा भारत में वित्तीय विकास प्रक्रिया को मौलिक रूप से जोड़ता है। इसलिए नवाचार आधारित मौद्रिक मोड़ के लिए एक आधुनिक, प्रभावी ढंग से प्रबंधित, बौद्धिक संपदा प्रणाली की आवश्यकता है।
डॉ. ए. गायकवाड़ और सीएमए एस. धोकरे (2020) ने अपने शोध अध्ययन "बौद्धिक संपदा अधिकारों का अध्ययन और व्यापार के लिए इनकी सार्थकता" में पाया कि आईपीआर का प्रबंधन एक बहुआयामी कार्य है जिसके लिए कई अलग–अलग कार्यों और रणनीतियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और प्रथाओं के साथ संरेखित करने की आवश्यकता होती है। यह विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संचालित नहीं है, बल्कि बाजार की जरूरतों, बाजार की प्रतिक्रिया, आईपी को वाणिज्यिक उद्यम में परिवर्तित करने में शामिल लागत आदि से प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रत्येक उद्योग को अपनी विशेषज्ञता के आधार पर स्वयं की आईपी नीतियां, प्रबंधन शैली, रणनीतियां आदि विकसित करनी चाहिए।

अध्ययन की आवश्यकता:–किसी भी ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास में रचनात्मकता और नवाचार एक स्थिर कारक रहे हैं। बौद्धिक संपदा आज के ज्ञान आधारित समाज में सतत विकास के लिए एक प्रमुख उपकरण बन चुकी है। आईपीआर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आधुनिक आर्थिक नीति बनाने की आधारशिलाओं में से एक है। भारत द्वारा वर्ष 1975 में डब्ल्यूआईपीओ में शामिल के बाद से विशेषकर पिछले तीन दशकों में देश के आईपीआर में भावनात्मक परिवर्तन देखा गया है, इन सबके बावजूद आईपीआर के वैश्विक मानकों में भारत की स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही है। इसलिए बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्विक परिदृश्य में भारतीय स्थिति का अवलोकन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय आईपीआर कानूनों और आईपीआर पंजीयन में भारत की स्थिति के आकलन के साथ ही यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि विभिन्न प्रकार के आईपीआर के क्रियान्वयन व संरक्षण की स्थिति क्या है? देश के आईपीआर के पंजीयन व प्रगति की दिशा में क्या कोई परिवर्तन आया है?

अध्ययन के उद्देश्य:–सुरक्षित आईपीआर प्रणाली के बारे में उचित जागरूकता की कमी के कारण भारत जैसे विकासशील देश प्रायः अपनी बौद्धिक संपदा को कारोबार योग्य उत्पादक पूंजी में नहीं बदल पाते हैं और विकसित देश अक्सर फायदा उठा लेते हैं। इसलिए प्रस्तुत शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया गया है कि आईपीआर के वैश्विक परिदृश्य में भारत की स्थिति क्या है और भारत अपने आईपीआर को सुरक्षित व प्रोत्साहित करने में किस हद तक सफल रहा है। इसलिए हमारे अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्नप्रकार हैं।

1) बौद्धिक संपदा अधिकारों के विकास को समझना।
2) बौद्धिक संपदा अधिकारों के वैश्विक परिदृश्य में भारतीय स्थिति का अवलोकन करना।
3) आईपीआर से संबंधित गतिविधियों में भारत की स्थिति पर चर्चा करना।
4) विभिन्न प्रकार के बौद्धिक संपदा अधिकारों का अध्ययन करना।
5) बौद्धिक संपदा द्वारा रचनात्मकता और नवाचार की ओर ध्यान आकर्षित करना।

शोध प्रविधि:–यह अध्ययन पूर्णतया द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसकी पूर्णता और व्यापकता के लिए विभिन्न स्तरों पर विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, अतीत व हालिया प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा की गई। यह अध्ययन आवश्यकतानुसार विभिन्न देशों के साथ भारत के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, जिसमें विशेष रूप से पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, भौगोलिक संकेतक, कापीराइट के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। आईपीआर अध्ययन के लिए वर्ष 2006–07 से 2020–21 की अवधि के लिए यानि 16 वर्षों के आंकड़ों को एकत्र किया गया है। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय पेटेंट कार्यालय, बौद्धिक संपदा कार्यालय, आईपीआर संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ (सीआईपीएएम), विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) और विश्व व्यापार संगठन सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की रिपोर्टों का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात आवृत्ति, प्रतिशत, औसत, सारणी और यथावश्यक चित्रात्मक आधार पर संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

बौद्धिक संपदा का परिचय:–बौद्धिक संपदा ऐसी संपत्ति है, जो बौद्धिक गुणों के व्यवहार द्वारा सृजित की जाती है। यह नैतिक और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन है। यह किसी व्यक्ति के बौद्धिक और रचनात्मक क्रियाकलापों का परिणाम होती है। यह बुद्धिमत्ता द्वारा ऐसे सृजन को इंगित करती है, जो अंततः वाणिज्यिक प्रयोग में आते हैं। जैसे– आविष्कार, अभिनव डिजाइन, रचनात्मक उत्पाद, सेवाओं के पहचानकर्ता, भौगोलिक विशेषता धारित अद्वितीय उत्पाद, डिजाइन, साहित्यिक सृजन, कलात्मक कार्य, पहचान चिह्न आदि बौद्धिक संपदाएं हैं। पहली बार 'बौद्धिक संपदा' शब्द अक्टूबर 1845 ई. में मैसाचुसेट्स सर्किट कोर्ट में दवोल एवं अन्य बनाम ब्राउन वाद के फ़ैसले में न्यायाधीश चार्ल्स एल. वुडबरी द्वारा प्रयोग किया गया, जबकि 'बौद्धिक संपदा' शब्द के आधुनिक उपयोग का ज़िक्र 1888 ई. में मिलता है, जब बर्न में 'बौद्धिक संपदा के लिए स्विस संघीय कार्यालय (बीआईआरपीआई)' की स्थापना की गई थी।

बौद्धिक संपदा अधिकार का परिचयः—व्यक्तियों को उनके बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में प्रदान किए जाने वाले अधिकार बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) कहलाते हैं। ये एक निश्चित अवधि के लिए सृजनकर्त्ता या निर्माता को उसके सृजन के उपयोग पर विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का बौद्धिक सृजन (जैसे साहित्यिक कृति, शोध, आविष्कार आदि) करता है तो उसमें सर्वप्रथम उसी व्यक्ति का अनन्य अधिकार होना चाहिए। चूँकि यह अधिकार बौद्धिक सृजन के लिए दिया जाता है, अतः इसे बौद्धिक संपदा अधिकार की संज्ञा दी जाती है। आईपीआर एक निश्चित समयावधि और एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र के मद्देनज़र दिए जाते हैं, जिनका मूल उद्देश्य मानवीय बौद्धिक सृजनशीलता को प्रोत्साहन और संरक्षण देना है।

आईपीआर की उत्पत्ति और विकासः—बौद्धिक संपदा हर युग में सभ्यता के स्थापक और विकास के वाहक रहे हैं। पुरापाषाण काल में आग की उत्पत्ति और नवपाषाण काल में पहिए के आविष्कार के साथ ही बौद्धिक संपदाओं का सृजन शुरू हो गया था, लेकिन इनमें मान्यता जैसी प्रवृत्ति नहीं थी। बौद्धिक संपदा अधिकारों की मान्यता का इतिहास 600 ईसा पूर्व से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन तब भी इनमें व्यावसायिक स्वामित्व जैसी प्रवृत्ति नहीं थी। मान्यता का पहला प्रमाण 500 ईसा पूर्व का है, जब ग्रीक राज्य सिवारिस ने अपने नागरिकों को 'विलासिता में किसी भी नए शोधन' के लिए एक पेटेंट प्रदान करने की अनुमति दी थी। मध्यकाल में आईपीआर की शुरुआत उत्तरी इटली में पुनर्जागरण काल के दौरान हुई थी, जब 1421 ई. में दुनिया का पहला आधुनिक पेटेंट एक इतावली आविष्कारक को प्रदान किया गया था। इसके बाद 1474 ई. में वेनिस ने पेटेंट संरक्षण को विनियमित करने वाला कानून जारी किया, जिसने मालिक को एक विशेषाधिकार प्रदान किया। कापीराइट का इतिहास 1440 ई. से शुरू हुआ माना जाता है, जब जोहान्स गुटेनबर्ग ने जंगम लकड़ी या धातु के अक्षरों के साथ प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। जबकि कॉपीराइट को कानूनी रूप में सबसे पहले 1662 में ब्रिटिश संसद ने 'लायसेंसिग ऑफ प्रेस ऐक्ट' पारित किया।

रोमन साम्राज्य में तलवारें बनाने वाले लोहारों को ट्रेडमार्क का पहला उपयोगकर्ता माना जाता है। यद्यपि पहला ट्रेडमार्क कानून 1266 ई. में किंग हेनरी तृतीय के शासनकाल में इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत बेकरों द्वारा बेची जाने वाली रोटी के लिए एक विशिष्ट चिह्न उपयोग करने पर बल दिया गया था। लेकिन दुनिया में पहला आधुनिक ट्रेडमार्क कानून फ्रांस में 1857 ई. में "निर्माण एवं माल चिह्न अधिनियम" कानून में पारित किया गया था। व्यापार रहस्य का इतिहास इंग्लैंड में 1817 ई. में न्यूबेरी बनाम जेम्स वाद में और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1837 ई. में विकरी बनाम वेल्च वाद में पहली बार दिखाई दिया, जब व्यापार रहस्य की आधुनिक अवधारणा के आधार पर वाद दायर किए गए थे, जिनमें निषेधाज्ञा राहत की बजाय केवल क्षति का दावा किया गया था। जबकि निषेधाज्ञा राहत से जुड़ा पहला मामला इंग्लैंड में, 1820 ई. में योवेट बनाम विनयार्ड वाद में आया। औद्योगिक डिजाइन की उत्पत्ति उपभोक्ता उत्पादों के औद्योगीकरण और मशीनीकरण के विकास से जुड़ा हुआ है जो 18वीं शताब्दी के मध्य में ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के साथ शुरू हुआ था। हालांकि "औद्योगिक डिजाइन" शब्द का पहला प्रयोग 1919 ई. में औद्योगिक डिजाइनर जोसेफ क्लाउड सिनेल द्वारा किया गया है। जबकि क्रिस्टोफर ड्रेसर को पहले स्वतंत्र औद्योगिक डिजाइनरों में गिना जाता है।

18वीं और 19वीं सदी के दौरान प्रौद्योगिकी अपने आधुनिक रूप में मौजूद नहीं थी, एक सृजनक या आविष्कारक के अधिकार उसके देश तक सीमित थे, कई नवोदित आविष्कारकों का मानना था कि दर्शकों द्वारा उनके आविष्कारों की नकल की जा रही है, जो उनकी रुचियों की परवाह किए बिना उनका व्यावसायीकरण कर रहे हैं। इसके समाधान हेतु 1873 ई. में विएना में 'द वर्ल्ड एक्सपोजिशन' नामक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के विधिक विमर्श को बढ़ावा देने और उनके सार्वभौमिक मान्यता पर बल दिया गया। इसके बाद वैश्विक स्तर पर आईपीआर की सुरक्षा हेतु 1883 ई. में औद्योगिक संपदा के संरक्षण जुड़ा पेरिस अभिसमय हुआ, जिसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन आविष्कार के पेटेंट शामिल हैं। इसी तरह,1886 ई. में साहित्यिक एवं कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिये बर्न अभिसमय किया गया, जिसमें उपन्यास, लघु कथाएँ, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प शामिल हैं। इन अभिसमयों के प्रशासन हेतु 1893 ई. में बर्न में 'बीआईआरपीआई' की स्थापना की गई थी, इसे बाद में 1967 ई. में 51 देशों द्वारा स्टॉकहोम में हस्ताक्षरित डब्ल्यूआईपीओ संधि के फलस्वरूप रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिये एक अंतर–सरकारी ढांचे के रूप में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वीपो) स्थापित किया गया। जिसने वर्ष 1974 से संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के तौर पर काम करना शुरू किया। वीपो वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ प्रशासित करता है जिनमें से 21 संधियां (15 औद्योगिक संपदा से तथा 6 प्रकाशनाधिकार से) आईपीआर से संबंधित हैं। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद से बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते (ट्रिप्स समझौते) के तहत कॉपीराइट एवं संबंधित अधिकारों, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतों, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, एकीकृत सर्किट ले आउट डिज़ाइन और अप्रकाशित जानकारी की सुरक्षा हेतु न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। ट्रिप्स परिषद इनके कार्यान्वयन की निगरानी भी करती है।

आईपीआर के वैश्विक परिदृश्य में भारतीय स्थिति:– अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक (आईआईपीआई) और वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) द्वारा आईपीआर में भारत की वैश्विक स्थिति को समझा जा सकता है। यूएस चैंबर आफ कामर्स के ग्लोबल इनोवेशन पालिसी सेंटर द्वारा निर्गत आईआईपीआई बौद्धिक संपदा के विभिन्न मानकों को 50 संकेतकों को सुरक्षा की 9 श्रेणियों में विभक्त करके किसी अर्थव्यवस्था में बौद्धिक संपदा की प्रगति का मूल्यांकन करता है। आईआईपीआई पहली बार 11 अर्थव्यवस्थाओं के साथ वर्ष 2012 में जारी किया गया था, जिसमें भारत 11वें स्थान पर और दूसरे संस्करण 2014 में भी 25 देशों में 25वें स्थान पर था।

सारणी–1, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की स्थिति

वर्ष	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
सूचकांक में शामिल देश	11	25	30	38	45	50	50	53	53	55
भारत की रैंकिंग	11	25	29	37	43	44	36	40	40	43
स्रोत: ग्लोबल इनोवेशन पालिसी सेंटर के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक										

सारणी–1, से स्पष्ट है कि आईआईपीआई में देशों की संख्या बढ़ने के साथ भारत का स्थान नीचे खिसकता रहा है। 2015 में 30 देशों के सूचकांक में 29वें से बढ़कर भारत 2019 में 50 देशों में 36वें स्थान पर पहुँच गया। यह 2020 में 40वें स्थान से बढ़कर 2022 में 43वें स्थान पर पहुँच गया। हालांकि शुरुआत में भारत की रैंकिंग सूचकांकित देशों में सबसे नीचे थी, लेकिन इसमें सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत का कुल स्कोर 36.04 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2022 में 38.6 प्रतिशत हो गया, यह भारत के आईपीआर पारितंत्र में सुधार को दर्शाता है। चूंकि डिजिटल युग में अर्थव्यवस्था के समग्र आईपी पारितंत्र को बेहतर बनाने के लिए 2017 के आईआईपीआई में 5 नए संकेतक जोड़े गए, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित हैं, जिनका भारत सदस्य नहीं है, इसलिए भारत को इनके अंक नहीं मिले हैं, जिसे स्कोर में कमी के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत ने काफी सुधार दिखाया है। यद्यपि यह चीन के मुकाबले अभी काफी पीछे है, क्योंकि वर्ष 2012 से अब तक चीन ने अपने कुल स्कोर में जहां 18.34 प्रतिशत सुधार किया है, वहीं भारत ने इसमें 13.44 प्रतिशत का सुधार किया है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा निर्गत वैश्विक नवाचार सूचकांक 80 संकेतकों के आधार पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को उनकी नवाचार क्षमताओं के अनुसार रैंकिंग प्रदान करता है, इसमें नवाचार के आगत–निर्गत विश्लेषण के कृत्रिमता से लेकर ज्ञान व तकनीक रचनात्मकता के सभी आयाम शामिल हैं। इसे पहली बार वर्ष 2007 में जारी किया गया था, तब से लेकर 2021 तक इसके 14 संस्करण निर्गत हो चुके हैं। इसके पहले संस्करण में 107 देश शामिल थे, जिसमें भारत 23वें स्थान पर, 2009 में 130 देशों में 41वें और 2010 में 132 देशों में 56वें स्थान पर था।

सारणी–2, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की स्थिति

वर्ष	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
सूचकांकमें शामिल देश	125	141	142	143	141	128	127	126	129	131	132
भारत की रैंकिंग	62	64	66	76	81	66	60	57	61	57	46
भारत का स्कोर	34.5	35.7	36.2	33.7	31.7	33.6	35.5	35.2	44.7	43.5	36.4
स्रोत: विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक नवाचार सूचकांक											

सारणी–2, से स्पष्ट है कि वर्ष 2015 तक भारत की रैंकिंग में निरंतर गिरावट परिलक्षित हुई और यह गिरकर 81 तक पहुंच गई। वर्ष 2011 में भारत का कुल स्कोर 34.5 प्रतिशत था, जो घटकर 2015 में 31.7 प्रतिशत रह गया। इसके बाद भारत की स्थिति में सुधार हुआ और 2019 में इसका कुल स्कोर 44.7 प्रतिशत हो गया था। रैंकिंग के मामले में भी 81वें स्थान से सुधार कर भारत 2021 में 46वें स्थान पर पहुंच गया। सूचकांक का विश्लेषण बताता है कि भारत ने नवाचार इनपुट की तुलना में नवाचार आउटपुट में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत 34 निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्थाओं में दूसरे जबकि मध्य एवं दक्षिण एशिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर काबिज है। भारत ने लगातार 11वें वर्ष अपने विकास स्तर के सापेक्ष नवाचार पर बेहतर प्रदर्शन का रिकार्ड कायम रखा है। कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में दोनों सूचकांकों में भारत की स्थिति में निरंतर सुधार परिलक्षित हुआ है।

आईपीआर गतिविधियों में भारत की स्थिति:– बौद्धिक संपदा के विशेष रूप से पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, भौगोलिक संकेतक, कापीराइट के सृजन, परिमार्जन और नवाचार में भारत की स्थिति का अध्ययन निम्नप्रकार है।

पेटेंट में भारत की स्थितिः—पेटेंट एक ऐसा कानूनी अधिकार है, जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। पेटेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अलावा यदि कोई व्यक्ति या संस्था इनका उपयोग (बिना पेटेंट धारक की अनुमति के) करता है तो ऐसा करना कानून अपराध माना जाता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार (उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट)का होता है। एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज़ होने की तिथि से 20 वर्षों के लिये होती है।

भारत में पेटेंट से संबंधित पहला कानून,1856 का अधिनियम VI था, जिसे 1859 और 1872 में संशोधित किया गया, फिर 1883 में संशोधन के बाद यह 30 वर्षों तक लागू रहा। इसके बाद 1911 में भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम बनाया गया था। आजादी के बाद विभिन्न समितियों की अनुशंसा पर 1965 में एक पेटेंट विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जो व्यपगत हो गया, पुनः एक संशोधित पेटेंट विधेयक, 1967 में पेश किया गया, जो अंततः पेटेंट अधिनियम, 1970 के रूप में पारित हुआ। यह भारत में पेटेंट को नियंत्रित करने वाला व्यापक कानून है और यह पेटेंट नियम, 1972 के प्रकाशन के साथ 20 अप्रैल 1972 को लागू हुआ, जो दिसंबर 1994 तक बिना किसी बदलाव के करीब 24 वर्षों तक लागू रहा। ट्रिप्स के तहत अपनी प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए भारत ने पेटेंट अधिनियम को 1995 से तीन बार (1999, 2002 और 2005 में) संशोधित किया गया है। यह कानून पेटेंट नियम, 2003 द्वारा समर्थित है। 21 सितंबर, 2021 से पेटेंट संशोधन नियम, 2021 लागू हैं।

ग्राफ-1, भारत में वर्ष वार पेटेंट आवेदन और पंजीकरण का विवरण

श्रोत: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

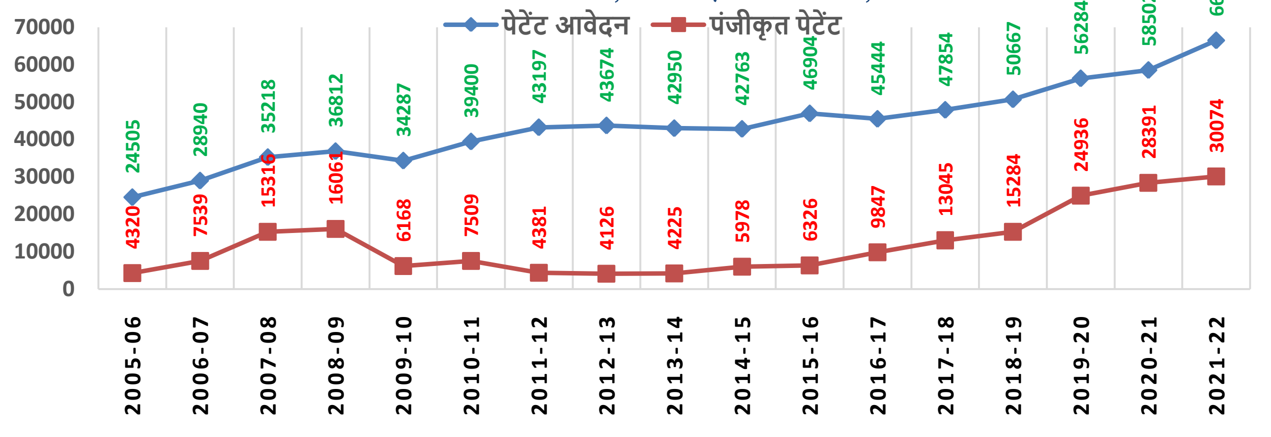

ग्राफ–1, से स्पष्ट है कि पिछले 17 वर्षों में पेटेंट आवेदनों की संख्या में 2.7 गुना जबकि पेटेंट पंजीकरण की संख्या में 6.9 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005–06 में पेटेंट के लिए 24505 आवेदन किए गए, जो बढ़ाकर 2021–22 में 66440 हो गए, जबकि इसी अवधि में पंजीकृत पेटेंटों की संख्या 4320 से बढ़कर 30074 हो गई। यद्यपि 2005–06 से 2020–21 की अवधि में पेटेंट पंजीकरण के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, यह 17.6 से बढ़कर 48.5 प्रतिशत तक पहुंच गया था। हालांकि इसमें निरंतर वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है, यह 17.6 से बढ़कर 2008–09 में 43.6 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो घटकर 2012–13 में 9.4 प्रतिशत रह गया, इसके बाद 2020–21 तक सतत वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन आवेदनों के सापेक्ष पेटेंट पंजीकरण अनुपात काफी कम रहा है, यह 9.4 से लेकर अधिकतम 48.5 प्रतिशत तक रहा है। कुल मिलाकर पिछले 17 वर्षों में आवेदनों के सापेक्ष पेटेंट पंजीकरण का अनुपात 50 प्रतिशत से कम रहा है। हालांकि भारत में 2021–22 में प्रदान किए गए पेटेंट बढ़कर 30,074 हो गए, जो 2014–15 में प्रदत्त 5,978 पेटेंटों की तुलना में पांच गुना से अधिक है। वर्ष 2021–22 में भारत में दायर पेटेंट की संख्या बढ़कर 66,440 हो गई, जबकि 2014–15 में 42,763 पेटेंट दायर किए गए थे, जो सात साल की अवधि में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि परिलक्षित करते हैं।

सारणी–3, भारत में पिछले 10 वर्षों में निवासियों और प्रवासियों के पेटेंट का विवरण

वर्ष	पेटेंट के लिए दायर आवेदन			अनुदत्त पेटेंटों की संख्या			प्रवृत्त पेटेंटों की संख्या		
	निवासी आवेदन	प्रवासी आवेदन	कुल आवेदन	भारतीय पेटेंटी	विदेशी पेटेंटी	कुल पेटेंट	भारतीय पेटेंटी	विदेशी पेटेंटी	कुल पेटेंट
2010-11	8312	31088	39400	1273	6236	7509	7301	32293	39594
2011-12	8921	34276	43197	699	3682	4381	7545	32444	39989
2012-13	9911	33763	43674	716	3410	4126	8308	35612	43920
2013-14	10941	32010	42950	634	3592	4225	7464	35168	42632
2014-15	12071	30692	42763	684	5294	5978	7561	35695	43256
2015-16	13066	33838	46904	918	5408	6326	7306	37218	44524
2016-17	13219	32225	45444	1315	8532	9847	7660	41105	48765

2017-18	15550	32304	47854	1937	11108	13045	8830	47934	56764
2018-19	17005	33654	50659	2511	12772	15284	9787	54899	64686
2019-20	20843	35424	56267	4003	20933	24936	12181	69098	81279
श्रोत: कार्यालय महानियंत्रक एकस्व् अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन									

सारणी–3, में पेटेंट आवेदकों में निवासी और प्रवासी भागीदारी पर गौर करें, तो वर्ष 2010–11 में निवासियों और प्रवासियों के क्रमशः 8312 और 31088 आवेदन प्राप्त हुए, जो कुल आवेदनों का क्रमशः 21.1 और 78.9 प्रतिशत थे, यह भागीदारी 2019–20 में क्रमशः 20843 और 35424 आवेदनों तक पहुंच गई, जो कुल आवेदनों का क्रमशः 37 और 63 प्रतिशत थी। इस तरह भारत में पेटेंट हेतु आवेदकों में विदेशियों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक रही है। हालांकि जनवरी–मार्च 2022 तिमाही में भारतीय आईपी कार्यालय में दायर किए गए कुल 19,796 पेटेंट आवेदनों में से 10,706 भारतीय और 9,090 गैर–भारतीय आवेदकों द्वारा दायर किए गए, ऐसा पिछले 11 वर्षों में पहली बार हुआ कि घरेलू पेटेंट आवेदकों ने अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदकों की संख्या से अधिक रहे हैं। कमोवेश यही स्थिति पेटेंट पंजीकरण में भी रही है। 2010–11 में क्रमशः निवासियों को 17 और विदेशियों को 83 प्रतिशत पेटेंट प्राप्त हुए हैं, यह भागीदारी 2019–20 में क्रमशः 16.1 और 83.9 प्रतिशत हो गई, यानि 80 प्रतिशत से अधिक पेटेंट विदेशियों द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

वर्ष 2016 में भारत में 45444 आवेदन के सापेक्ष 9847 पेटेंट पंजीकृत किए गए जबकि इसी अवधि में चीन में 1338503 आवेदन के सापेक्ष 404208 और अमेरिका में 605571 आवेदन के सापेक्ष 303049 पेटेंट पंजीकृत किए गए। स्पष्ट है कि भारत में जहां कुल आवेदनों का 21.7 प्रतिशत पेटेंट पंजीकृत हुए, वहीं चीन में 30.2 और अमेरिका में 50.0 प्रतिशत पेटेंट पंजीकृत हुए। यह बढ़कर 2019 में भारत में 44.3, चीन में 32.3 और अमेरिका में 57.0 प्रतिशत हो गए, जो चीन और अमेरिका की तुलना में सुधार तो बताता है, लेकिन वर्ष 2019 में, भारत में 56284 आवेदन के सापेक्ष केवल 24,936 पेटेंट दिए गए थे, जो कि अमेरिका में 621453 और चीन में 1400661 आवेदन के सापेक्ष दिए गए क्रमशः 354430 और 452804 पेटेंट की तुलना में काफी कम है। साथ ही, पिछले चार वर्षों में भारत में पेटेंट की संख्या में वृद्धि दर अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत प्रभावशाली नहीं रही है। कुल मिलाकर चीन और अमेरिका के सापेक्ष पेटेंट आवेदन और पंजीकरण दोनों में भारत की स्थिति बहुत कमतर है।

डिजाइन में भारत की स्थितिः–डिजाइन मानव बुद्धि की वह रचना है जो आंख और ध्यान को आकर्षित करती है। डिजाइन का आशय केवल आकार, विन्यास, नमूना, पैटर्न, आभूषण या किसी वस्तु पर अंकित रेखाओं या रंगों की संरचना से है, यह दो या तीन आयामी अथवा दोनों रूपों में हो सकती है, या कहें कि औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा मैनुअल, मैकेनिकल या केमिकल, भिन्न या संयुक्त रूप में निर्मित संरचना ही डिजाइन है। डिज़ाइन अपने सौंदर्य मूल्य के कारण किसी व्यावसायिक उत्पाद के लिए विशिष्ट हो जाती है। डिज़ाइन दो (सौंदर्यपूर्ण और कार्यात्मक) प्रकार का हो सकता है। सौंदर्य कारक उपभोक्ता के आकर्षण को जबकि कार्यात्मक कारक उपभोक्ता के उत्पाद उपयोग को संतुष्ट करते हैं। एक पंजीकृत डिजाइन पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष तक के लिए संरक्षित होती है, जिसे पांच साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।

भारत में नए डिजाइनों के संरक्षण हेतु पहली बार पैटर्न और डिजाइन संरक्षण अधिनियम, 1872 लागू किया गया था। इसके बाद आविष्कार और डिजाइन अधिनियम, 1888 का पालन किया गया जिसने आविष्कारों और डिजाइनों के संरक्षण से संबंधित कानून को समेकित किया। इसको ब्रिटिश पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1907 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जो भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम, 1911 का आधार बना। पंजीकरण की प्रथा को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष 1933 में पेटेंट और डिजाइन नियम बनाए गए थे। आजादी के बाद भी लंबे समय तक डिजाइन अधिनियम, 1911 लागू रहा है, जिसे डिजाइन अधिनियम, 2000 के द्वारा निरस्त कर दिया। यह अधिनियम 11 मई, 2001 से लागू है। अब भारत में डिजाइन अधिनियम, 2000 और डिजाइन नियम, 2001 के तहत डिजाइनें संरक्षित हैं। यह ट्रिप्स समझौते के तहत औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम मानकों को शामिल करता है। भारत ने औपचारिक रूप से "लोकार्नो वर्गीकरण" को अपनाने के लिए 25 जनवरी 2021 को डिजाइन (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया हैं। लोकार्नो समझौता औद्योगिक डिजाइन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अनुरूप एक वर्गीकरण स्थापित करता है।

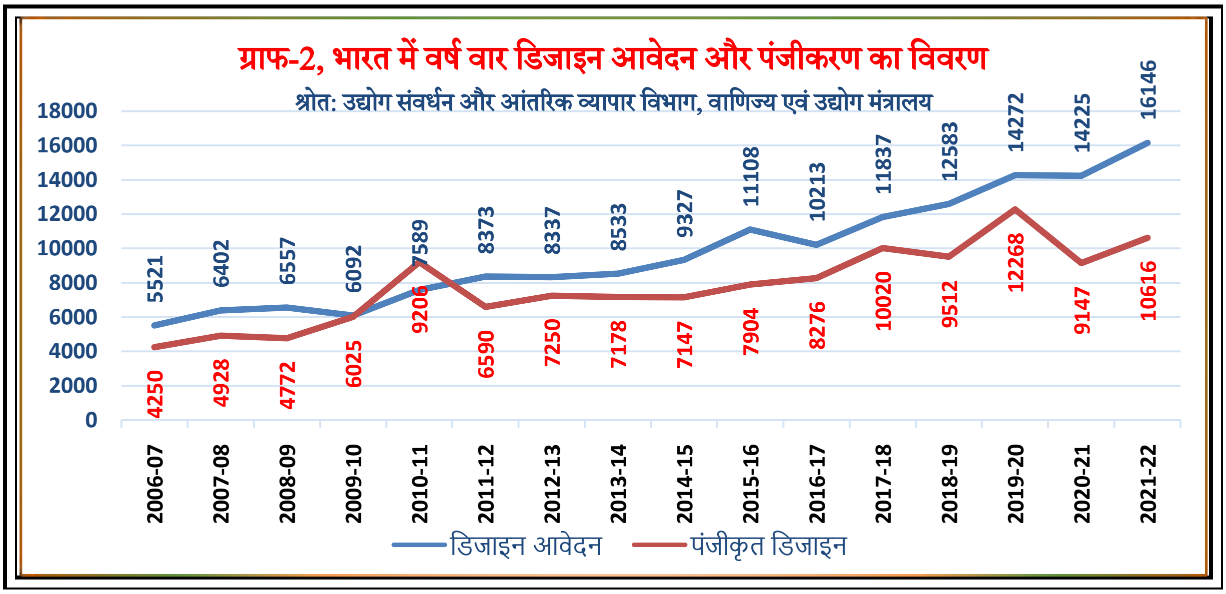

ग्राफ–2, से स्पष्ट है कि पिछले 16 वर्षों में डिजाइन आवेदनों की संख्या में 2.9 गुना जबकि डिजाइन पंजीकरण की संख्या में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2006–07 में डिजाइन के लिए 5521 आवेदन किए गए, जो बढ़कर 2021–22 में दिसंबर, 2021 तक 16146 हो गए, जबकि इसी अवधि में पंजीकृत डिजाइनों की संख्या 4250 से बढ़कर 10616 हो गई। यद्यपि इस अवधि में डिजाइन पंजीकरण के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें निरंतर वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है। वर्ष 2006–07 में 5521 आवेदनों के सापेक्ष 4250 डिजाइन पंजीकृत किए गए, जो कुल आवेदनों का 77 प्रतिशत, जबकि 2020–21 में 14225 आवेदनों के सापेक्ष 9147 डिजाइन पंजीकृत हुए, जो कुल आवेदनों का 64.3 प्रतिशत था। कुल मिलाकर पिछले 16 वर्षों में प्राप्त कुल 157115 आवेदनों के सापेक्ष 125089 डिजाइन पंजीकृत हुए हैं, अर्थात कुल आवेदनों का 79.6 प्रतिशत डिजाइन पंजीकृत हुए हैं, लेकिन इन 16 वर्षों में आवेदनों के सापेक्ष पंजीकृत डिज़ाइनों का विचलन 64.3 से 121.3 प्रतिशत रहा है।

सारणी–4, पिछले 5 वर्षों में निवासियों और प्रवासियों के डिजाइन पंजीकरण का विवरण

वर्ष	डिजाइन आवेदन			पंजीकृत डिजाइन		
	भारतीय	विदेशी	कुल	भारतीय	विदेशी	कुल
2015-16	7895	3213	11108	5532	2372	7904
2016-17	6292	3921	10213	5511	2765	8276
2017-18	8224	3614	11838	6432	3580	10012
2018-19	8864	3721	12585	6587	2896	9483
2019-20	9706	4584	14290	8447	3809	12256
श्रोत: कार्यालय महानियंत्रक एकस्व, अभिकल्प, व्यापार चिह्न एवं भौगोलिक उपदर्शन						

सारणी–4, में डिजाइन आवेदकों में निवासी और प्रवासी भागीदारी पर गौर करें, तो वर्ष 2015–16 में भारतीयों और विदेशियों के क्रमशः 7895 और 3213 आवेदन प्राप्त हुए, जो कुल आवेदनों का क्रमशः 71.1 और 28.9 प्रतिशत थे, यह भागीदारी 2019–20 में क्रमशः 9706 और 4584 आवेदनों तक पहुंच गई, जो कुल आवेदनों का क्रमशः 67.9 और 32.1 प्रतिशत थी। इस तरह भारत में डिजाइन हेतु आवेदकों में भारतीयों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक रही है। कमोवेश यही स्थिति डिजाइन पंजीकरण में भी रही है। 2015–16 में भारतीयों को 70 और विदेशियों को 30 प्रतिशत डिजाइन प्राप्त हुए हैं, यह भागीदारी 2019–20 में क्रमशः 68.9 और 31.1 प्रतिशत हो गई। इस तरह 60 प्रतिशत से अधिक डिजाइन भारतीयों द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

वर्ष 2016 में भारत में 10213 आवेदन के सापेक्ष 8276 डिजाइन पंजीकृत किए गए जबकि इसी अवधि में चीन में 650344 आवेदन के सापेक्ष 446135 और अमेरिका में 42908 आवेदन के सापेक्ष 30920 डिजाइन पंजीकृत किए गए। स्पष्ट है कि भारत में जहां कुल आवेदनों का 81 प्रतिशत डिजाइन पंजीकृत हुए, वहीं चीन में 68.6 और अमेरिका में 72.1 प्रतिशत डिजाइन पंजीकृत हुए। यह बढ़कर 2019 में भारत में 85.8, चीन में 78.2 और अमेरिका में 74.8 प्रतिशत हो गए, जो चीन और अमेरिका की तुलना में सुधार तो बताता है, लेकिन वर्ष 2019 में, भारत में केवल 12256 डिजाइन पंजीकृत किए गए थे, जो कि अमेरिका और चीन में पंजीकृत क्रमशः 35047 और 556529 डिजाइन की तुलना में काफी कम है। कुल मिलाकर, पिछले चार वर्षों में भारत में डिजाइन की संख्या में वृद्धि दर अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत बेहतर नहीं रही है।

ट्रेडमार्क में भारत की स्थिति:—ट्रेडमार्क एक दृश्य प्रतीक है, जिसमें एक उपकरण, ब्रांड, शीर्षक, लेबल, टिकट, नाम, हस्ताक्षर, शब्द, अक्षर, अंक, वस्तु का आकार, पैकेजिंग या रंगों का संयोजन या आकृति संयोजन शामिल होता है। इसके द्वारा निर्माता या विक्रेता को उस उत्पाद के संबंध में ट्रेडमार्क का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। या कहें कि ट्रेडमार्क एक संकेत है जो किसी उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम है। यह उद्यम को उसके प्रतिस्पर्धियों से अलग करता है क्योंकि उन्हें आसानी से पहचाना और उनके गुणों का आश्वासन दिया जा सकता है। ट्रेडमार्क का उद्देश्य किसी उत्पाद या सेवा के चिह्न की रक्षा करना है, क्योंकि इससे उत्पादकों के सामान या सेवाएं अधिक सुरक्षित होती हैं। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के तहत ट्रेडमार्क तीन रूपों (सेवा, प्रमाणन, सामूहिक) में प्रदान किया जाता है।भारत में ट्रेडमार्क पंजीकरण की तारीख से 10 साल के लिए वैध होता है, जिसको पुनः नवीनीकृत कराया जा सकता है।

1940 से पहले भारत में कोई आधिकारिक ट्रेडमार्क कानून नहीं था। हालांकि भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत ट्रेडमार्क के स्वामित्व के लिए एक घोषणा प्राप्त करके पंजीकरण का निर्णय लिया गया था। बाद में 1940 में भारतीय ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट,1940 पारित किया गया था, जो ब्रिटिश ट्रेडमार्क अधिनियम, 1938 की प्रतिलिपि था। आजादी के बाद भारत ने ट्रेडमार्क और पण्य वस्तु अधिनियम, 1958 पारित किया, जो 17 अक्टूबर 1958 को लागू हुआ था। भारत शुरुआत से ही विश्व व्यापार संगठन और उसके ट्रिप्स समझौते का पक्षकार रहा है। इसके अलावा भारत दिसंबर, 1998 में पेरिस कन्वेंशन में शामिल हुआ है। इनके दायित्वों और ट्रेडमार्क व्यवस्था को वैश्विक प्रणाली के अनुरूप बनाने हेतु भारत ने ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 पारित किया गया, जो ट्रेडमार्क नियम, 2002 के साथ 15 सितंबर, 2003 से प्रभावी हैं।

डब्ल्यूआईपीओ द्वारा प्रशासित मैड्रिड प्रणाली की दो संधियों (1892 से प्रभावी चिह्नों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड समझौता,1891 और 1 अप्रैल, 1996 को लागू मैड्रिड समझौते से संबंधित प्रोटोकॉल) को भारत ने क्रमशः 2005 और 2007 में स्वीकार किया है, जिनके अनुपालन हेतु 8 जुलाई, 2013 से व्यापार चिह्न (संशोधन) नियम,2013 लागू हैं। भारत सरकार ने ट्रेडमार्क प्रशासन को सरल, तीव्र व डिजिटल बनाने के उद्देश्य से व्यापार चिह्न नियम, 2017 लागू किया है, जो 6 मार्च, 2017 से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के समानांतर कार्य कर रहे हैं।

ग्राफ–3, से स्पष्ट है कि पिछले 15 वर्षों में ट्रेडमार्क आवेदनों की संख्या में 4.3 गुना जबकि ट्रेडमार्क पंजीकरण की संख्या में 2.3 गुना की वृद्धि हुई है। वर्ष 2006–07 में ट्रेडमार्क के लिए 103419 आवेदन किए गए, जो बढ़कर, 2020–21 में 444126 और 2021–22 में दिसंबर, 2021 तक 340047 हो गए, जबकि इसी अवधि में पंजीकृत ट्रेडमार्कों की संख्या 109361 से बढ़कर 255993 और दिसंबर, 2021 तक 211325 हो गई। यद्यपि इस अवधि में आवेदनों के सापेक्ष ट्रेडमार्क पंजीकरण के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है। पिछले 15 वर्षों (2006–07 से 2020–21) के दौरान 6 वर्ष आवेदनों के सापेक्ष 80 प्रतिशत से अधिक ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए, जबकि 4 वर्ष पंजीकरण का प्रतिशत 30 से कम रहा है। इस अवधि में आवेदनों के सापेक्ष पंजीकृत ट्रेडमार्कों का विचलन 19.8 से 110.2 प्रतिशत रहा है। कुल मिलाकर पिछले 16 वर्षों में प्राप्त कुल 37.72 लाख आवेदनों के सापेक्ष 23.95 लाख ट्रेडमार्क पंजीकृत हुए हैं, अर्थात कुल आवेदनों का 63.5 प्रतिशत ट्रेडमार्क पंजीकृत हुए हैं। अब यदि ट्रेडमार्क आवेदकों में निवासी और प्रवासी भागीदारी पर गौर करें, तो वर्ष 2015–16 में भारतीयों और विदेशियों के क्रमशः 267390 और 15670 आवेदन प्राप्त हुए, जो कुल आवेदनों का क्रमशः 94.5 और 5.5 प्रतिशत थे, यह भागीदारी 2019–20 में क्रमशः 334612 और 14306 आवेदनों तक पहुंच गई, जो कुल आवेदनों का क्रमशः 95.9 और 4.1 प्रतिशत थी। इस तरह भारत में ट्रेडमार्क हेतु आवेदकों में भारतीयों की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक रही है।

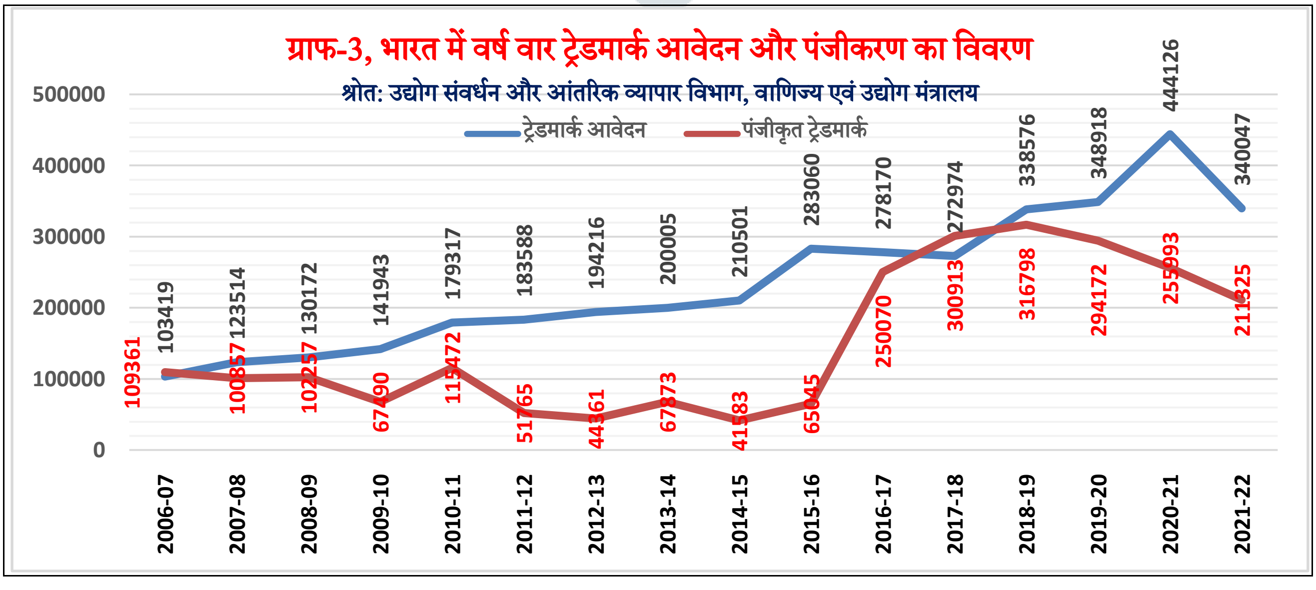

वर्ष 2016 में भारत में 2.78 लाख आवेदन के सापेक्ष 2.50 लाख ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए जबकि इसी अवधि में अमेरिका में 3.93 लाख आवेदन के सापेक्ष 2.34 लाख ट्रेडमार्क पंजीकृत किए गए। स्पष्ट है कि भारत में जहां कुल आवेदनों का 89.9 प्रतिशत ट्रेडमार्क पंजीकृत हुए, वहीं अमेरिका में 59.6 प्रतिशत ट्रेडमार्क पंजीकृत हुए। यह 2019 में भारत में 87.9, चीन में 81.7 और अमेरिका में 65.1 प्रतिशत हो गए, जो चीन और अमेरिका की तुलना में सुधार तो बताता है, लेकिन वर्ष 2019 में, भारत में 3.34 लाख आवेदन के सापेक्ष केवल 2.94 लाख ट्रेडमार्क दिए गए थे, जो कि अमेरिका में 4.93 और चीन में 78.37 लाख आवेदन के सापेक्ष दिए गए क्रमशः 3. 21 लाख और 64.06 लाख ट्रेडमार्क की तुलना में काफी कम है। कुल मिलाकर, पिछले चार वर्षों में भारत में ट्रेडमार्क की संख्या में वृद्धि दर अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत बेहतर नहीं रही है।

<u>**कॉपीराइट में भारत की स्थिति**</u>:—जब कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को मूर्त कार्य में तब्दील करता है, तो उसके मौलिक कार्यों की रक्षा हेतु प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) प्रदान किया जाता है। प्रतिलिप्याधिकार एक कानूनी अवधारणा है जो लेखक या निर्माता के मूल कार्य को संरक्षित और उसे उपयोग के विशेष अधिकार प्रदान करता है। कॉपीराइट के तहत किताबें, साहित्यिक, नाटकीय, ध्वनि प्रसारण, चित्रकला, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कंप्यूटर प्रोग्राम, डाटाबेस, विज्ञापन, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन को सम्मिलित किया जाता है। कॉपीराइट के अंतर्गत दो प्रकार के (आर्थिक और नैतिक) अधिकार दिये जाते हैं। यह एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है। किसी रचना में कॉपीराइट का स्वामित्व उसके लेखक की मृत्यु के अगले वर्ष की शुरुआत से लेकर 60 वर्ष तक रहता है। लेकिन फोटोग्राफ, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम, वास्तु कलात्मक कृतियों, सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय कामों में कॉपीराइट रचना के प्रकाशन से 60 वर्ष तक ही रहता है। इस अवधि के बाद रचना पर कॉपीराइट समाप्त हो जाता है और वह रचना पब्लिक डोमेन में चली जाती है।

भारत में कॉपीराइट से संबंधित पहला कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान 1847 में बनाया गया, बाद में ब्रिटिश राज के तहत भारतीय विधायिका ने भारतीय कॉपीराइट अधिनियम,1914 पारित किया, जो यूनाईटेड किंगडम कॉपीराइट ऐक्ट,1911 की प्रतिलिपि था। आजादी के बाद भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वाह के लिए संसद ने कॉपीराइट अधिनियम, 1957 पारित किया। यह भारत में कॉपीराइट संरक्षण के लिए शासी कानून है और यह कॉपीराइट नियम, 1958 के प्रकाशन के साथ 21 जनवरी,1958 को लागू हुआ। तब से इसको पांच बार (1983, 1984, 1992, 1994, 1999 और 2012 में) संशोधित किया गया है। यह 14 मार्च, 2013 से लागू कॉपीराइट नियम, 2013 द्वारा समर्थित है। भारत में 25 दिसंबर, 2018 से प्रभावी वीपो की दो संधियों (वीपो कॉपीराइट संधि और वीपो प्रदर्शन एवं फोनोग्राम संधि) के अनुपालन हेतु 30 मार्च, 2021 से कापीराइट संशोधन नियम, 2021 लागू हैं।

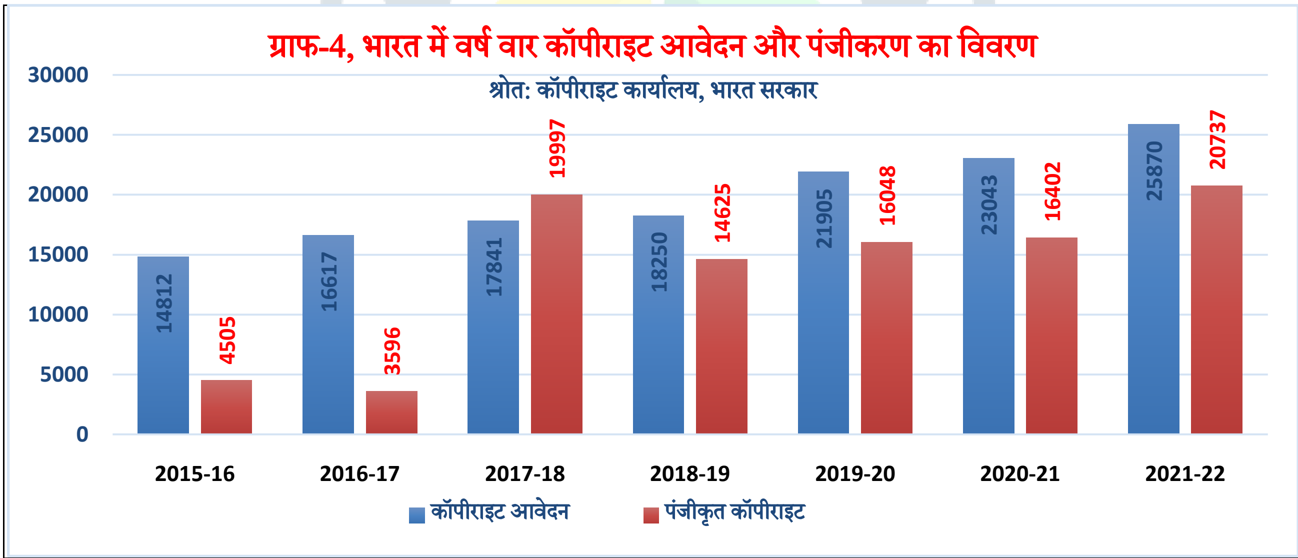

ग्राफ–4, से स्पष्ट है कि पिछले 7 वर्षों में देश में कॉपीराइट आवेदनों में 42.7 प्रतिशत और कॉपीराइट पंजीकरण में 78.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2015–16 में कॉपीराइट आवेदनों की संख्या 14812 थी, जो बढ़कर 2021–22 में 25870 हो गई, जबकि इसी अवधि में कॉपीराइट पंजीकरणों की संख्या 4505 से बढ़कर 20737 हो गई। यदि कॉपीराइट पंजीकरण की दर पर गौर करें तो वर्ष 2015–16 में आवेदन के सापेक्ष केवल 30.4 प्रतिशत कॉपीराइट पंजीकृत किए गए और यह दर बढ़कर 2021–22 में 80.2 प्रतिशत हो गई। यदि वर्ष 2017–18 की 112.1 प्रतिशत की वृद्धि दर छोड दें तो पिछले 7 वर्षों में आवेदन के सापेक्ष कॉपीराइट पंजीकरण का विचलन 21.6 (वर्ष 2016–17 में) से 80.2 प्रतिशत के बीच रहा है। हालांकि नए आवेदनों की जांच में विलंब की अवधि को घटाकर एक महीना करने से आवेदन के सापेक्ष कॉपीराइट पंजीकरण का प्रतिशत बढा है।

वर्ष 2015 में भारत में 14812 आवेदन के सापेक्ष 4505 कॉपीराइट पंजीकृत किए गए जबकि इसी वर्ष अमेरिका में 443823 कॉपीराइट पंजीकृत किए गए, जो भारत की तुलना में 98.5 गुना अधिक थे। लेकिन वर्ष 2019 में, भारत में 21905 आवेदन के सापेक्ष केवल 16048 कॉपीराइट पंजीकृत किए थे, जो कि अमेरिका और चीन में पंजीकृत क्रमशः 547837और 729211 कॉपीराइट की तुलना में काफी कम है। इस तरह, पिछले पांच वर्षों में भारत में कॉपीराइट की संख्या में वृद्धि दर अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत प्रभावशाली नहीं रही है।

<u>भौगोलिक संकेतक में भारत की स्थिति</u>:–भौगोलिक संकेतक से अभिप्राय उत्पादों पर प्रयुक्त चिह्न से है, जो अपने विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान से संबद्ध होते हैं और उस मूल स्थान से संबद्ध होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है। भौगोलिक संकेतक देश के किसी विशिष्ट गुणवत्ता धारित उत्पाद के मूल स्थान के नाम से पहचाने जाते हैं। यह उत्पाद की गुणवत्ता व विशिष्टता का आश्वासन देता है जो उस परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पत्ति के कारण होता है। विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, मदिरा पेय, हस्तशिल्प को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग का दर्जा दिया जाता है। यह 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है, जिसका पुनः नवीनीकरण कराया जा सकता है। भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय है, जिसे 29 अक्तूबर, 2004 को जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। जीआईटैग औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद1(2) और 10 के तहत आईपीआर के रूप में शामिल हैं और ये ट्रिप्स समझौते के तहत व्यापार संबंधित पहलुओं के अनुच्छेद 22 से 24 से संबंधित हैं। इनके अनुपालन हेतु भारत सरकार द्वारा वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 बनाया गया है और यह वस्तुओं का जीआई (पंजीकरण और संरक्षण) नियम, 2002 के प्रकाशन के साथ 15 सितंबर, 2003 से लागू हैं। साथ ही उपयोगकर्ताओं के बीच जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 26 अगस्त, 2020 से जीआई (संशोधन) नियम, 2020 लागू किए गए हैं।

ग्राफ-5, भारत में वर्ष वार जीआई आवेदन और पंजीकरण का विवरण

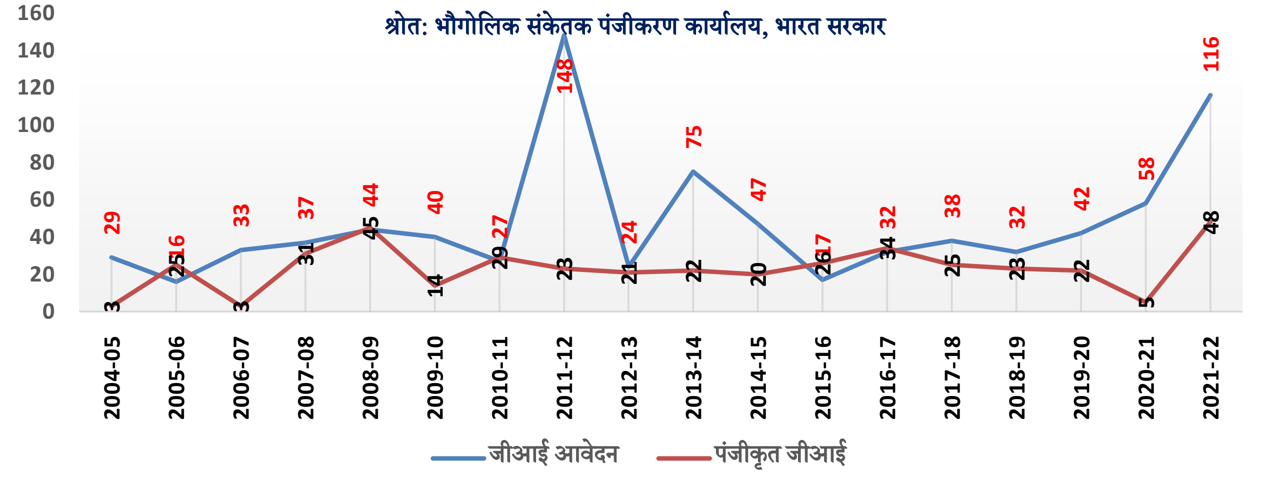

अक्तूबर, 2003 से 31 मार्च, 2022 तक देश के विभिन्न राज्यों से जीआई टैग के 861 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 419 आवेदनों को जीआई टैग के साथ पंजीकृत किया गया गया है, जबकि 334 आवेदन लंबित, 53 आवेदन अस्वीकृत, 28 आवेदन परित्यक्त और 27 आवेदन वापस लिए गए थे। इन पंजीकृत 419 जीआई टैग में 15 विदेशी उत्पाद भी शामिल हैं। यदि जीआई टैग पंजीकरण की दर पर गौर करें तो पिछले 19 वर्षों में देश में जीआई टैग आवेदनों में से केवल 48.7 प्रतिशत जीआई टैग पंजीकृत हुए हैं। ग्राफ–5, से स्पष्ट है कि पिछले 19 वर्षों में देश में जीआई टैग आवेदनों के सापेक्ष पंजीकरण का विचलन बहुत अधिक रहा है।

वर्ष 2018 तक भारत में 330 जीआई टैग पंजीकृत किए गए, जिसमें 200 हस्तशिल्प,110 कृषि उत्पाद व खाद्य पदार्थ,11 वाइन व स्पिरिट्स और 9 अन्य जीआई टैग शामिल थे, जबकि इस अवधि तक इस्राइल में 1000 जीआई टैग पंजीकृत किए गए, जिसमें 34 हस्तशिल्प, 281 कृषि उत्पाद व खाद्य पदार्थ, 609 वाइन व स्पिरिट्स और 76 अन्य जीआई टैग शामिल थे, इसी तरह, चीन में 7247 जीआई टैग पंजीकृत किए गए, जिसमें 274 हस्तशिल्प, 6291 कृषि उत्पाद व खाद्य पदार्थ, 326 वाइन व स्पिरिट्स और 356 अन्य जीआई टैग शामिल थे। कुल मिलाकर चीन और इस्राइल के सापेक्ष जीआई टैग पंजीकरण में भारत की स्थिति बहुत कमतर है।

<u>निष्कर्ष एवं सुझाव</u>:– प्रस्तुत अध्ययन से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत ने लगातार अपने विकास स्तर के सापेक्ष नवाचार पर बेहतर प्रदर्शन कायम किया है। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक और वैश्विक नवाचार सूचकांक दोनों में भारत की स्थिति में निरंतर सुधार परिलक्षित हुआ है। यद्यपि पिछले 17 वर्षों में आवेदनों के सापेक्ष पेटेंट पंजीकरण का अनुपात 50 प्रतिशत से कम

रहा है। लेकिन पिछले वर्ष के सापेक्ष पेटेंट पंजीकरण में वृद्धि वर्ष 2013–14 से 2021–22 तक लगातार 100 प्रतिशत से अधिक रही है। वर्ष 2021–22 में प्रदान किए गए पेटेंट बढ़कर 30074 हो गए, जो 2014–15 में प्रदत्त की संख्या 5978 पेटेंटों की तुलना में पांच गुना से अधिक है। पिछले 11 वर्षों में पहली बार हुआ कि जनवरी–मार्च 2022 तिमाही में घरेलू पेटेंट आवेदक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदकों की संख्या से अधिक रहे हैं। हालांकि संख्यात्मक रूप से चीन और अमेरिका के सापेक्ष पेटेंट आवेदन और पंजीकरण दोनों में भारत की स्थिति बहुत कमतर है।

पिछले 16 वर्षों में डिजाइन आवेदन और पंजीकरण की संख्या की संख्या में वृद्धि के बावजूद आवेदनों के सापेक्ष पंजीकरण के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है। इसमें 64.3 से 121.3 प्रतिशत तक विचलन रहा है। यद्यपि भारत में डिजाइन हेतु आवेदकों और डिजाइन पंजीकरण प्राप्त करने में भारतीयों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक रही है। लेकिन संख्यात्मक रूप से भारत में डिजाइनों की वृद्धि दर अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत बेहतर नहीं रही है। पिछले 15 वर्षों में ट्रेडमार्क आवेदनों और पंजीकरण की संख्या में वृद्धि हुई है और कुल आवेदनों का 63.5 प्रतिशत ट्रेडमार्क पंजीकृत हुए हैं। लेकिन इसमें निरंतर वृद्धि परिलक्षित नहीं हुई है। हालांकि भारत में ट्रेडमार्क हेतु आवेदकों में भारतीयों की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत से अधिक रही है। इसके बावजूद संख्यात्मक रूप से भारत में ट्रेडमार्क की संख्या में वृद्धि दर अमेरिका और चीन की तुलना में बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती है।

पिछले 7 वर्षों में देश में कॉपीराइट आवेदनों में 42.7 प्रतिशत और कॉपीराइट पंजीकरण में 78.2 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद आवेदन के सापेक्ष कॉपीराइट पंजीकरण का विचलन 21.6 से 80.2 प्रतिशत के बीच रहा है। हालांकि नए आवेदनों की जांच में विलंब की अवधि को घटाकर एक महीना करने से आवेदन के सापेक्ष पंजीकरण का प्रतिशत बढा है। लेकिन संख्यात्मक रूप से अमेरिका और चीन की तुलना में भारत की स्थिति को बहुत प्रभावशाली नहीं कहा जा सकता है। जीआई टैग के संदर्भ में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं काही जा सकती है, क्योंकि एक तो पिछले 19 वर्षों में देश में जीआई टैग आवेदनों के सापेक्ष पंजीकरण का विचलन बहुत अधिक रहा है। दूसरा, चीन और इस्राइल के सापेक्ष जीआई टैग पंजीकरण में भारत की स्थिति बहुत कमतर है।

कुल मिलाकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में प्रगतिशील विकास के लिए आईपीआर बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि आईपी अनुप्रयोग में वृद्धि जीडीपी पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। वैसे भी अब आईपीआर के कार्यान्वयन और प्रसार के बिना अभिनव वातावरण बनाना असंभव होता जा रहा है। इसलिए नीति निर्माताओं के लिए बुनियादी शिक्षा प्रणाली में आईपीआर को शामिल करना, नवप्रवर्तनकर्ताओं और रचनाकारों को प्रोत्साहित करके आईपीआर पंजीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है। देश अभी कच्चे माल, सस्ते श्रम, युवा जनशक्ति और रचनात्मक कौशल के मामले में काफी संसाधन संपन्न है। इसलिए भारत निश्चित रूप से आईपीआर में अन्वेषण द्वारा वैश्विक व्यापार और प्रतिस्पर्धा में अपने अनुपातिक हिस्से को विस्तारित कर सकता है।

यद्यपि नई आईपीआर नीति, 2016 में सराहनीय सुधारों के कारण भारत के बौद्धिक संपदा वातावरण ने अच्छे सकारात्मक परिणाम दिए हैं। लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। जैसे आईपीआर अब विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय दृष्टिकोण से संचालित नहीं होता, बल्कि इसका प्रबंधन एक बहुआयामी कार्य है। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों, उद्यमीय आवश्यकता, बाजार की प्रतिक्रिया, वाणिज्यिक मांग और वैश्विक प्रथाओं के साथ संरेखित करना आवश्यक है, क्योंकि आईपीआर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापार को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं और तकनीक आधारित व्यापार के लाभ तो पूर्णतः आईपीआर मालिकों द्वारा प्राप्त सुरक्षा की डिग्री पर निर्भर हो गए हैं।

चूंकि अब आईपीआर वित्तीय संपत्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इसलिए केवल पंजीकरण ही पर्याप्त नहीं, बल्कि आईपीआर के सावधानीपूर्वक संरक्षण द्वारा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना भी आवश्यक है। जैसे भारत की जैव विविधता आईपीआर के क्षेत्र में आविष्कारों के लिए एक महान मंच प्रदान करती है, इसलिए आईपीआर पंजीकरण और आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए इनके बारे में बुनियादी जानकारी, जागरूकता और शिक्षा की आवश्यकता है ताकि सभी के लाभ के लिए बौद्धिक संपदा द्वारा रचनात्मकता और नवाचार को प्रेरित किया जा सके।

स्रोत संदर्भः–

1. https://dpiit.gov.in/hi/publications/annual-report
2. https://cipam.gov.in/index.php/publications/resource-material
3. https://ipindia.gov.in/registered-gls.htm
4. https://search.ipindia.gov.in/GIRPublic
5. https://ipindia.gov.in/designs.htm
6. https://www.internationalpropertyrightsindex.org/full-report
7. http://cipam.gov.in/index.php/iptrends/
8. https://copyright.gov.in/Achievements.aspx
9. https://copyright.gov.in/DashboardPreview.aspx
10. https://search.ipindia.gov.in/GIRPublic

11. https://ipindiaonline.gov.in/eregister/eregister.aspx
12. https://ipindia.gov.in/writereaddata/Portal/Images/pdf/GI_Application_Register_16-11-2021.pdf
13. https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=IN
14. https://www.statista.com/statistics/1117574/india-industrial-designs-registered
15. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2021.pdf /World Intellectual Property Indicators 2021

	Gajendra Singh 'Madhusudan' **Assistant Professor (Economics),** Department of Economics, Goswami Tulsidas PG College, Karwi, Chitrakoot, Uttar Pradesh-210205 Email Id: **gajendrashodh1988@gmail.com**
	Sonu Jain, **Assistant Professor (Agricultural Economics),** Department of Agricultural Economics, Sri Karan Narendra Agriculture University,Jobner,Jaipur, Rajasthan-303329 Email Id:**sonujain.ageco@sknau.ac.in**